<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 2431/2019

(S.L.P (C) सं. 2792/2019 से उदघृत)

वरुण पाहवा .....अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती रेनू चौधरी .....प्रतिवादी

<u>निर्णय</u>

हेमंत गुप्ता, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की जाती है |

2. प्रस्तुत अपील में चुनौती की विषय वस्तु दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2018 को पारित आदेश है | उपरोक्त आदेश के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा 23.01.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध एक याचिका ख़ारिज की गई थी, जिसमें वाद के संशोधन हेतु अनुमति मांगी गई थी |

3. अपीलार्थी ने सिद्धार्थ गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बतौर निदेशक, 25,00,000/- रुपये के साथ-साथ वाद-कालीन एवं 28.05.2016 तक या लगभग के भविष्य काल ब्याज की वसूली हेतु वाद दायर किया था | वादी ने दावा किया, कि, कथित रकम को 25,00,000/- रुपये के क़र्ज़ के रूप में प्रतिवादी को 16.06.2013 को RTGS के जरिए, HDFC BANK, दिल्ली में प्रेषित कर दिया गया था | यह भी बताया गया कि, वादी ने श्री नवनीत गुप्ता को मुख्तारनामा दिया है और इस मुख्तारनामा की प्रतिलिपि संलगित है |

4. प्रतिवादी ने लिखित कथन में प्रारंभिक आपत्ति जताई कि, वाद को वादी द्वारा दायर नहीं किया गया है और यह भी कहा कि, कथित प्राधिकृत प्रतिनिधि ने कोई दस्तावेज दायर नहीं किया है जिससे पता चलता हो कि उसे उपरोक्त वादी ने प्राधिकृत किया है | विशेष मुख्तारनामा न वैध है और न ही स्वीकार्य |

5. 29.11.2016 को जब नवनीत गुप्ता ने कोर्ट में खुद को PW-1 की हैसियत से परीक्षण करने हेतु वादी के मुख्तारी अधिकारी के रूप में पेश हुए थे | उस स्तर पर, विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पते को प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया गया था और यह भी कि, क्यों वादी को एक अधिवक्ता द्वारा परीक्षण किया जाए जबकि वादी दिल्ली का ही स्थानीय निवासी है | इसलिए, इसके बाद अपीलार्थी ने वाद संशोधन हेतु इस आधार पर एक प्राथर्ना पत्र दायर किया था कि, अधिवक्ता ने असावधानी से वाद का शीर्षक गलत कर दिया था चूँकि ऋण कंपनी द्वारा दिया गया था, इसलिए, वाद का नाम कंपनी के नाम पर होना था | इसलिए, वादी ने वाद के निम्नलिखित पैरा(औं) द्वारा पैरा एक और पैरा दो को स्थानापन्न करना चाहा है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

> “1. कि, वादी एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिसका I-VA (संपति न. XII) जवाहर नगर, दिल्ली में अपना पंजीकृत कार्यालय है |
>
> 2. कि, प्रस्तुत वाद को वादी के प्राधिकृत प्रतिनिधि अर्थात् नवनीत गुप्ता, निवासी- 322, कोहट एन्क्लेव, पीतम पुरा, दिल्ली द्वारा दायर किया गया है जिन्हें सिद्धार्थ गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रेनू चौधरी के खिलाफ़ जिसे 25 लाख रूपये का ऋण दिया गया था, की सभी क़ानूनी कार्यवाहियों और न्यायालय के मामलों में सभी दस्तावेजों, कागजों, शिकायतों, प्रार्थना पत्रों, वाद, लिखित कथन, प्रतिवाद, शपथ पत्रों, उत्तर, पुनरीक्षण, आदि को हस्ताक्षर, सत्यापित, निष्पादन और संस्थापन,

अनुसरण, और साक्ष्य देने हेतु दिनांक 12.05.2016 के बोर्ड संकल्प (resolution) द्वारा प्राधिकृत किया गया है|"

6. विचारण न्यायायल ने संशोधन को इस आधार पर इंकार किया था कि, प्रार्थना पत्र निजी वैयक्तिक के रूप में दायर वाद को निजी लिमिटेड कंपनी द्वारा दायर वाद के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश है, जो अनुज्ञेय नहीं है क्योकिं यह वाद की प्रकृति को पूणता: बदलता है | इस कथित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था |

7. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना क्योकि प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ |

8. वाद को उचित रूप से तैयार नहीं किया गया क्योंकि पक्षकारों के ज्ञापन(Memo of Parties) में वादी को वरुण पाहवा को सिद्धार्थ गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक द्वारा वर्णित किया है जबकि इसे सिद्धार्थ गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक वरुण पाहवा के माध्यम से होना चाहिए था | इसलिए, यह मामला अधिवक्ता की समझ की कमी के कारण हुई गलती का है, कि, कैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अग्रिम रकम की वसूली हेतु मुकद्दमा दायर कर सकती है |

9. पार्टियों के ज्ञापन(Memo of Parties) से स्पष्ट है कि यह अधिवक्ता जिसने वाद तैयार किया है, के द्वारा अनजाने में की गई गलती है | ऐसी अनजाने में की गई गलती सही करने के लिए मना नहीं किया जा सकता जब गलती वाद पत्र पढ़ने से ही स्पष्ट है | प्रक्रिया के नियम न्याय के सेवक है और यह पक्षकारों के वास्तविक अधिकारों को निष्फल नहीं कर सकतें | यह भलीभांति स्थापित है कि, वाद-विवाद के संशोधन को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोई गलती, लापरवाही, असावधानी या प्रक्रिया के नियमों का

उलंघन हुआ है | न्यायालय हमेशा अनुमति देती है वाद-विवाद को संशोधन करने हेतु, तब भी जब कोई पक्षकार लापरवाह या असावधान हो क्योंकि वाद-विवाद में संशोधन की अनुमति की शक्ति का लक्ष्य न्याय प्रदान करना है और यह किसी भी ऐसे संकीर्ण या तकनीकी सीमाओं द्वारा शासित नहीं हैं | **State of Maharastra vs. Hindustan Constructions Company Limited** में , इस न्यायालय ने निम्निलिखित कहा था:

> "**17**. जहाँ तक की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (लघु हेतु "CPC") सम्बंधित है, आदेश 6 नियम 17 वाद-विवाद के संशोधन को प्रदान करता है | यह कहता है कि, न्यायलय कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर किसी भी पक्षकार को अपने वाद-विवाद को ऐसे तरीकें और ऐसी शर्तों जो न्याय संगत हो, को परिवर्तित अथवा संशोधित करने हेतु अनुमति प्रदान कर सकता है, और ऐसे सभी संशोधन किये जायेंगे जब यह पक्षकरों के बीच विवादित असल प्रश्नों को निर्णित करने के परियोजन हेतु अवश्यक होंगे |
>
> **18.** वादों के संशोधन से सम्बंधित मामले न्यायालयों के समक्ष समय-समय पर विचारण हेतु आए हैं | जैसा कि, 1984 में, Clarapede & Co. v. Commercial Union Assn. के मामले में - एक अपील जो अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, Brett M.R. ने कहा था:
>
> > ".....न्यायालय के आचरण का नियम ऐसे एक मामले में है की, यद्यपि गलती लापरवाही या असावधानी से है, और, यद्यपि प्रस्तावित संशोधन देरी से ही हो, संशोधन को स्वीकारा जायेगा यदि इसे

करते समय किसी भी पक्षकार के साथ अन्याय न हो | वहां कोई अन्याय नहीं है अगर दूसरे पक्ष को कॉस्ट(cost) से क्षतिपूर्ति होती है; लेकिन, संशोधन उन्हें ऐसी स्थिति में ला दे कि, उन्हें नुकसान हो, तो इसे नहीं करना चाहिए.....|"

19. *Charan Das v. Amir Khan* के मामले में Privy Council ने क़ानूनी स्थिति को उजागर किया कि, वाद में वाद पत्र को संशोधन करने हेतु न्यायालय की शक्ति को नियम के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहाँ इसका आशय प्रतिवादी से एक क़ानूनी अधिकार छीन लेना है जोकि उसे समय के बीत जाने के कारण उपार्जित हुआ है, फिर भी ऐसे मामले है जिनमें विवेचन मामले की विशेष परिस्थितियों द्वारा अधिक महत्त्वपूर्ण साबित हो गया है |

***** **** **** **** **** ****

22. *Jai Jai Ram Manohar Lal* के मामले में यह न्यायालय एक मुद्दे से चिंतित था जिसमें वाद-पत्र में संशोधन इस आधार पर मना किया गया था कि, संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं किया जा सकता है और संशोधन की तारीख, पर कार्य, परिसीमा नियम द्वारा बाधित था | यह कहा गया: (SSC p. 871, para 5)

"5..... प्रक्रिया के नियमों को न्याय प्रदान करने हेतु सेवक समझा गया है | एक पक्ष

को राहत महज इसीलिए इंकार नहीं की जा सकती है क्योंकि कोई त्रुटि, असावधानी, चूक या प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन हुआ है | न्यायालय हमेशा एक पक्षकार को वाद-विवाद में संशोधन हेतु अनुमति देता है, जब तक नहीं जहाँ वह संतुष्ट हो कि वांछनीय पक्षकार दुर्भावपूर्ण व्यवहार कर रही थी, अथवा कि, उसकी गलती द्वारा, उसने अपने विपक्ष को नुकसान पहुँचाया जिसे (cost) कॉस्ट के आदेश द्वारा भी क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता है| यद्यपि गलती लापरवाही या असावधानी से हो और यद्यपि प्रस्तावित संशोधन देरी से ही हो, संशोधन को अनुमति दी जाएगी यदि अगर यह अन्य पक्ष के साथ अन्याय किये बिना किया जा सकता है |"

इस न्यायालय ने यह भी कहा (Jai Jai Ram Manohar Lal Case, SCC p.873, para 7):

"7..... वाद-विवाद के संशोधन हेतु शक्ति का आशय न्याय प्रदान करना है और यह ऐसे किसी संकीर्ण या तकनीकी परिसीमा द्वारा शासित नहीं है |"

10. **Uday Shankar Triyar vs Ram Kalewar Prasad Singh & Another** मामले में, इस न्यायलय ने कहा कि, प्रक्रियात्मक दोष और अनियमिताएं जो साध्य है, को मूल अधिकारों को पराजित अथवा अन्याय हेतु अनुमति प्रदान नहीं

करनी चाहिए| प्रक्रिया को कभी भी न्याय प्रदान करने की मनाही हेतु या दमनात्मक अथवा दंडात्मक उपयोग हेतु स्थायी अन्याय का औजार नहीं बनाना चाहिए | न्यायालय ने निम्नलिखित कहा: -

> "17. वाद-विवाद, अपील या राहत हेतु आवेदन पत्र या याचिका से सम्बंधित किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता के साथ गैर अनुपालन को स्वतः ख़ारिज या अस्वीकृत नहीं करना चाहिए, जब तक कि प्रासंगिक कानून या नियम ऐसे आज्ञा न दे | प्रक्रियात्मक दोष और अनियमिताएँ जो साध्य है, को मूल अधिकारों को पराजित अथवा अन्याय हेतु अनुमति प्रदान नहीं करनी चाहिए| प्रक्रिया, न्याय की एक सेविका, को कभी भी न्याय प्रदान करने की मनाही हेतु या दमनात्मक अथवा दंडात्मक उपयोग हेतु स्थायी अन्याय का औजार नहीं बनाना चाहिए| इस सिद्धांत के भलीभांति स्वीकृत अपवाद हैं:
>
> **(i)** जहाँ कानून प्रक्रिया को निर्धारित करता है और गैर-अनुपालन के परिणाम को भी विशेष रूप से निर्धारित करता हो;
>
> **(ii)** जहाँ प्रक्रियात्मक दोष को सुधारा नहीं जाता, यहाँ तक कि इसे बताने के बाद भी और इसे सुधारने हेतु उचित अवसर प्रदान करने के बाद भी;
>
> **(iii)** जहाँ गैर-अनुपालन या उल्लंघन को सुविचारित या शरारतपूर्ण साबित कर दिया गया हो;
>
> **(iv)** जहाँ दोष का सुधार मामले के गुणागुणों या न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करें;

(v) अपील के ज्ञापन के मामले में, जब प्राधिकरण की पूर्ण अनुपस्थिति हो और जब अपील को अपीलार्थी के ज्ञान, सहमति और अधिकार के बिना प्रस्तुत किया हो |"

11. इसलिए, हमनें देखा कि, वाद में असावधानी से चूक हुई है जिससे विचारण न्यायालय ने सही करने हेतु अनुमति दे देनी चाहिए थी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वादी के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए थी क्योंकि मूल वादी ने कथित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बतौर निदेशक वाद दायर किया था | इसलिए, पक्षकारों के ज्ञापन(Memo of Parties) को सही करने हेतु की मनाही के आदेश को विधि में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है |

12. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के 20.08.2018 और विचारण न्यायालय के 23.01.2018 आदेशों को अपास्त किया जाता है और वादी द्वारा वाद-पत्र को संशोधन करने हेतु प्रार्थना-पत्र को बिना कॉस्ट (cost) के अनुमति दी जाती है |

अपील को अनुमति प्रदान की जाती है |

.....न्यायाधीश
(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़)

.....न्यायाधीश
(हेमंत गुप्ता)

नई दिल्ली,
मार्च 1, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सिमित प्रयोग हेतु किया गया हैं ताकि, वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायगा | समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी |